Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IX, Issue No. XVII, Jan-2015, ISSN 2230-7540

REVIEW ARTICLE

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IX, Issue No. XVII, January-2015, ISSN 2230-7540

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता : राजस्थान विधानसभा के विशेष संदर्भ में

Suman Kumari

Adarsh College Pillani

----------X----------

परिचय

भारत ने 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्वीकार कर इसके संसदीय एवं संघीय स्वरूप को अंगीकृत किया। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण यहाँ प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। संघीय प्रतिमान के तहत संपूर्ण राष्ट्र की राज व्यवस्था का संचालन होना था। अतः दोहरी शासन व्यवस्था को अपनाते हुए राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर समान राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। परिणामतः कानून निर्माण की शक्ति केन्द्र में राष्ट्रीय स्तर पर संसद तथा प्रांतों में विधानमण्डलों (व्यवहार में छः राज्यों को छोड़कर जहाँ विधानमण्डल के दोनों सदन विधान परिषद् व विधान सभा को ही रखा गया। शेष इकाईयों में एक सदन विधानसभा को ही रखा गया) की व्यवस्था की गई।[1]

भारत में विधान मण्डल व्यवस्था का प्रादुर्भाव ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1853 द्वारा हुआ। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में राजनीतिक व्यवस्था को संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करने का प्रयास किया गया जिसका विस्तार प्रांतीय आधार पर सन् 1861 ई. के भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा प्रांतों में विधानमण्डलों का निर्माण कर दिया। तदोपरांत इसी अधिनियम के तहत बम्बई, मद्रास तथा अन्य प्रांतों में विधान सभा एवं परिषद् बनाने की व्यवस्था की गई। जिनमें भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। सन् 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम द्वारा इन सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। भारत सरकार अधिनियम 1909 के माध्यम से प्रांतीय विधानमण्डलों में गैर सरकारी सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या को संयुक्त करते हुए इनकी संख्या सरकारी सदस्यों से अधिक रखी गई। इन सदस्यों की संख्या में विस्तार 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा विधानमण्डलों को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया।[2] सन् 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरूआत की गई, जिसे सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विस्तार प्रदान कर कुछ प्रांतीय विधानमण्डलों को द्विसदनीय बनाने की व्यवस्था की गई। उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भारत में ग्यारह प्रांत थे, जिनमें प्रयोग के तौर पर छः प्रांतों में द्विसदनीय विधानमण्डलों की व्यवस्था की गई। इन छः प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में उच्च सदन विधानपरिषद् तथा निम्न सदन विधान सभा रखी गई तथा शेष 5 प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा को ही रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश अधिनियम 1935 का अनुकरण करते हुए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमण्डल का प्रावधान किया गया। राजस्थान विधानमण्डल में भी एक सदन विधानसभा की व्यवस्था है पर अब यहाँ पर भी द्विसदनीय विधानमण्डल हो इस पर विचार–विमर्श चल रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान विधानसभा में सहभागिता को जानने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु सहभागिता की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

अवधारणात्मक विवेचन :

किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना अर्थात् व्यवहार में किसी कार्य का हिस्सा बनना।[3] सहभागिता के कई रूप हो सकते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक। प्रस्तुत शोध–पत्र में राजनीतिक सहभागिता का विश्लेषण किया जाएगा। राजनीतिक सहभागिता सामान्य अर्थ में राजनीति प्रक्रिया में भाग लेना है। अर्थात् लोगों की उन राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हो जिनसे शासन की निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है।

पैरी, मोयजर एवं डे[4] के अनुसार–राजनीतिक सहभागिता सार्वजनिक नीति के निर्माण, निरूपण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेना है। इसका संबंध नागरिकों की उन गतिविधियों और अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करना है।

लेस्टर मिलब्राथ[5] ने राजनीतिक सहभागिता से सम्बद्ध राजनीतिक क्रियाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया है जो इस प्रकार है–

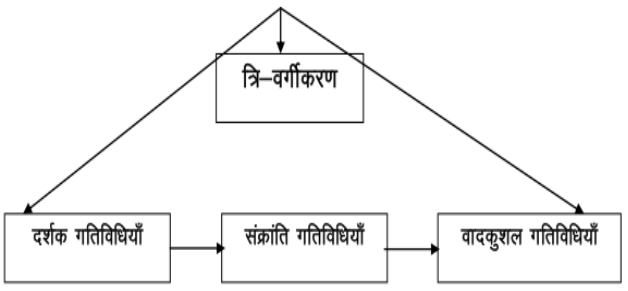

दर्शक गतिविधियाँ :

इन्हें औपचारिक क्रियाएँ कहा जाता है। इनमें व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि में मात्र औपचारिकता का निर्वहन करता है। वह

www.ignited.in

राजनीतिक क्रिया में सक्रिय रूप में संलग्न भी नहीं होता है, परन्तु वह उससे दूर भी नहीं भागता है और अवसर होने पर ही उसमें सहभागी बनता है। राजनीतिक सहभागिता की दर्शक गतिविधियाँ हैं–

1. वोट देना,
2. दूसरे से किसी के पक्ष–विपक्ष में वोट देने को कहना।
3. अपने वाहन पर किसी राजनीतिक दल का झण्डा चिपका लेना।
4. राजनीतिक चर्चा करना आदि। इन सभी क्रियाओं का प्रयोग आजकल अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

2. संक्रांति गतिविधियाँ :

इनमें सहभागिता की मात्रा दर्शक क्रियाओं से बढ़ जाती हैं किन्तु अधिक नहीं होती और न ही कम। इसमें व्यक्ति की राजनीति में साधारण से अधिक रूचि और सक्रियता रहती है। संक्रांति गतिविधियों में शामिल क्रियाएँ–

1. राजनीतिक बैठकों, प्रदर्शनों, रैलियों में सम्मिलित होना।
2. राजनीतिक नेताओं से सम्पर्क करना।
3. किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना आदि इन गतिविधियों का प्रयोग कम ही लोग करते हैं।

3. वादकुशल गतिविधियाँ :

यह राजनीतिक सहभागिता की पूर्ण या अंतिम क्रिया है। इसमें व्यक्ति राजनीति में अत्यधिक सक्रिय होते हैं। राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपना लेते हैं तथा अपना अधिकांश समय व शक्ति राजनीतिक कार्यों में ही लगाते हैं। इनमें निम्न गतिविधियाँ आती हैं–

1. राजनीतिक प्रचार में अधिकांश समय लगाना।
2. राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना।
3. दल की चुनावी साठ–गाँठ में भाग लेना,
4. राजनीतिक चन्दा इकट्ठा करना।
5. चुनाव में उम्मीदवार होना तथा दल के नेता या सार्वजनिक नेता आदि का पद संभालना।

इन गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोग तो राजनीति से विरक्त रहते हैं और जो उनके भागीदार होते हैं, उनमें भी अधिकतर का राजनीति से मात्र औपचारिक सा ही संबंध होता है। राजनीतिक समाज के लोगों का थोड़ा सा प्रतिशत ही राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण सक्रियता से भाग लेते हैं। अधिकतर लोग राजनीति के मूक दर्शक ही बने रहते हैं। मिलब्राथ का मानना है कि व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी सदैव बदलती रहती है।

मिलब्राथ ने राजनीतिक भागीदारी को राजनीतिक क्रियाओं के आधार पर दो प्रकारों में बांटा है–

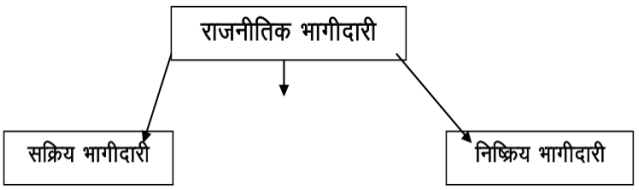

सक्रिय भागीदारी :

सक्रिय भागीदारी से अभिप्राय है कि जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में समय, शक्ति अथवा धन लगाते है वो सक्रिय भागीदार होते हैं।

निष्क्रिय भागीदारी से अभिप्राय है जो व्यक्ति, राजनीतिक कार्यों में समय, शक्ति अथवा धन नहीं लगाना चाहते हैं उन्हें निष्क्रिय भागीदार कहते हैं।

व्यापक अर्थ में राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है–इसमें व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन से संबंधित समस्त गतिविधियाँ मतदान चुनाव में भाग लेना, निर्णयों के प्रति विरोध, समर्थन, समूह संगठनों की सदस्यता एवं भागीदारी आदि सम्मिलित होती है।

महिला राजनीतिक सहभागिता :

लोकतांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक सफल एवं सुचारू संचालन हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि शासन में समस्त जनता की समान एवं सक्रिय भागीदारी हो। महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान हित एवं विकास संबंधी नीतियों, निर्णयों एवं कानून के निर्माण एवं क्रियान्वयन उनकी आवश्यकताओं आकांक्षाओं, सोच एवं दृष्टिकोण के अनुरूप एवं अनुकूल होने के लिए भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हे। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से ही वास्तविक सामाजिक समानता, समान सहभागिता तथा लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अतः महिलाओं की राजनीति में भागीदारी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

यद्यपि प्रारंभ से ही परिवार, समाज एवं राज्य व्यवस्था का पुरूष प्रधान स्वरूप होने के कारण लोकतांत्रिक सहभागिता के सिद्धांत भी पुरूषों की मतदान चुनाव में भाग लेना, निर्णयों के प्रति विरोध, समर्थन राजनीति तक ही सीमित रहा। किन्तु 18वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध से यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों में हुई क्रांतियों–फ्रांसीसी, जर्मनी तथा सभी क्रांतियों द्वारा जनसामान्य के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ–साथ महिलाओं के अधिकारों की मांग उनका समाज में स्थान निर्धारित होने के साथ–साथ नारीवादी सिद्धांतों का विकास आरंभ हुआ। परिणामतः महिलाएँ भी राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार की जाने लगी और अनेक विकल्प प्रस्तुत हुए। बेंथम मिल जैसे उपयोगितावादियों ने महिला अधिकारों को समर्थन किया है। जिसमें महिलाओं के लिए कानूनी, आर्थिक, सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

राजस्थान में महिला राजनीतिक सहभागिता एक विश्लेषण :

महिलाओं द्वारा स्वैच्छिक आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। जिनसे निर्णय–निर्माण प्रक्रिया प्रभावित एवं

www.ignited.in

निर्धारित होती है अर्थात् महिला राजनीतिक सहभागिता का अर्थ सिर्फ वोट देने के अधिकार का प्रयोग ही नहीं है, बल्कि सरकार के सभी स्तरों एवं निर्माण व्यवस्था, दबाव समूहों में निर्णय निर्माण नीति–निर्माण एवं शक्ति के प्रयोग में भागीदारी भी है, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा उनके द्वारा निर्वाचन एवं प्रशासन में भागीदारी से व्यापक है। इसमें विधायकों से सम्पर्क राजनीतिक विचारों का आदान–प्रदान मतदाताओं के बीच अभिमत तथा अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

अगर हम राजस्थान में महिलाओं की राजनीति सहभागिता का अध्ययन प्रांरभ से करें तो हम पाएंगे कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता नाममात्र की थी क्योंकि राजस्थान में हमेशा से ही पुरूष प्रधान समाज रहा है जिसमें स्त्रियों को पुरूषों पर आश्रित माना जाता रहा है यथा–पुत्री का पिता पर, पत्नी का पति पर, माँ का पुत्र पर। बचपन से ही लड़कियों को घर संभालने की शिक्षा दी जाती थी व धार्मिक रीतियों व परम्पराओं का पालन करने की शिक्षा इन्हें दी जाती थी। इसलिए परम्परागत रूप से अधिकांश महिलाएँ राजनीति में भाग नहीं लेती थी। परन्तु आम परिवारों की कुछ महिलाओं का राजनीति में प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलनों से हुआ, महिलाओं ने कृषक व गांधीवादी आंदोलनों में बढ़–चढ़कर भाग लिया ये घर के रीति–रिवाज तोड़कर घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आई जैसे–अंजना देवी, सत्यभामा नारायणी देवी, रतन शास्त्री राजकंवर, कमला देवी आदि महिलाओं ने राजनीति में भाग लिया।[6]

स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं को सन् 1950 के भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता व राजनीतिक भागीदारिता का अधिकार दिया गया। नई राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी जिसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता हेतु समान अधिकार प्रदान किए गए।[7] अतः महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, प्रचार करना, राजनीतिक पद प्राप्त करना आदि। महिला राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन हम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काल में देख सकते हैं क्योंकि इस काल में राज्यपाल पद, मुख्यमंत्री पद व विधानसभा अध्यक्ष पद पर महिलाएँ ही विराजमान थीं।

अतः राजस्थान में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता में वृद्धि होने लगी। अब कोई भी ऐसा पद नही है जिस पर महिला विराजमान न हो हर क्षेत्र में महिलाएँ हिस्सा ले रही हैं। आरक्षण ने इन महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ाने में महत्पवूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आरक्षण के कारण महिलाएँ आरक्षित सीटों पर चुन कर आ रही हैं। महिलाएँ राजनीति में बढ़–चढ़कर भाग ले रही हैं फिर चाहे वो चुनाव के दौरान प्रचार करने का हो या मतदान करने का या उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का सभी क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। जहाँ प्रारंभ में राजस्थान विधानसभा में महिलाएँ नाममात्र की ही दिखाई देती थी आज उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। अतः इस लेख में हम महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को निम्न सारणियों के माध्यम से देख सकते हैं जो इस प्रकार है–

महिलाओं की मतदाता के रूप में राजनीतिक सहभागिता:

मतदान राजनीतिक सहभागिता की महत्वपूर्ण गतिविधि है जिससे व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता का मापन किया जा सकता है। मतदान द्वारा हम जान सकते हैं कि कितने मतदाताओं की राजनीति के प्रति रूचि व सहभागिता है।

राजस्थान विधानसभा में पंजीकृत महिला मतदाता

विधान सभा वर्ष	कुल मतदाता	पुरूष मतदाता	प्रतिशत	महिला मतदाता	प्रतिशत
1952	7676419	–	–	–	–
1957	8736129	–	–	–	–
1962	10327596	5373858	52.03	495378	47.97
1967	–	–	–	–	–
1972	13910553	7172370	51.56	6738183	48.44
1977	15494298	8005489	51.67	7488800	48.33
1980	18452344	9709014	52.62	8743330	47.38
1985	21228702	11083428	52.21	10145274	47.79
1990	26405624	13992924	52.99	12412700	47.01
1993	28340937	1495881	52.78	13382056	47.22
1998	30132777	15860255	52.63	14272522	47.37
2003	33928675	17711958	52.20	16216717	47.80
2008	36179114	18982406	52.35	17196708	47.65
2013	40829330	21450208	52.53	19275918	47.21

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि महिलाओ की राजनीतिक सहभागिता में काफी वृद्धि हुई है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में महिला मतदान

विधान सभा वर्ष	कुल मतदाता	पुरूष मतदाता	प्रतिशत	महिला मतदाता	प्रतिशत
1952	3261442	–	–	–	–
1957	47464558	–	–	–	–
1962	5404690	3370591	62.36	2034099	37.64
1967	7104773	4104675	57.77	3000098	42.23
1972	8035227	4652054	57.90	3383173	42.10
1977	8433672	4784899	56.74	3648777	43.26
1980	9421970	5403550	57.35	4018420	42.65
1985	11660502	6750680	57.89	4909822	42.11
1990	15073788	8675707	57.55	6398081	42.45
1993	17171725	97745518	56.92	7397207	43.08
1998	19100906	10697507	56.01	8403399	43.99
2003	22794915	12382152	54.32	10412763	45.68
2008	24019992	12775104	53.22	11244888	46.78
2013	40608056	21408056	52.71	19200000	47.28

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की मतदान के प्रतिशत में काफी सुधार आया है इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की राजनीति सहभागिता में काफी परिवर्तन आया है। जहाँ 1962 में महिलाओं का मतदान 37.64 प्रतिशत था, वही 14वीं विधानसभा 2013 के चुनावों में उनका प्रतिशत 47.28 हो गया जो अन्य वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक है।

अतः मतदान को देखकर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीति सहभागिता में वृद्धि हुई है।

उम्मीदवार के रूप में सहभागिता :

1952 से अभी तक हुए विधानसभा चुनावों में महिलाओं की उम्मीदवार के रूप में सहभागिता बहुत कम रही है परन्तु वर्ष दर वर्ष महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जहाँ 13वीं विधानसभ के चुनाव में 155 में इनकी बढ़कर 166 हो गई है। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीति सहभागिता में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

विधानसभा चुनाव में खड़ी होने वाली महिलाएँ

विधान सभा वर्ष	कुल सदस्य	पुरूष सदस्य	प्रतिशत	महिला सदस्य	प्रतिशत
1952	753	749	99.47	4	0.63
1957	653	632	96.78	21	3.21
1962	890	876	98.43	14	1.57
1967	892	881	99.77	11	1.23
1972	875	858	98.06	17	1.94
1977	1156	1124	97.23	32	2.77
1980	1406	1375	97.80	31	2.20
1985	1485	1440	96.97	45	3.03
1990	3088	2995	96.99	93	3.01
1993	3088	2349	76.00	96	3.11
1998	1436	1367	95.19	69	4.81
2003	1541	1423	92.34	118	7.66
2008	2195	2040	92.94	155	7.06
2013	2087	1921	92.04	166	7.95

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में महिलाओं की उम्मीदवार के रूप में सहभागिता में वृद्धि हुई है। जहाँ सन् 1952 के चुनाव में 4 महिला उम्मीदवार ही मैदान में आ पाई वहीं सन् 2013 के चुनाव में इनकी संख्या 166 पहुँच गई है।

प्रतिनिधि के रूप में महिला सहभागिता :

विधानसभा में प्रतिनिधित्व के रूप में महिला सहभागिता का अध्ययन करें तो प्रथम विधान सभा चुनावों में मात्र 4 महिलाओं द्वारा ही चुनाव लड़ा गया, किन्तु उन्हें अपनी जमानत राशि भी वापस न मिल सकी, किन्तु उसके बाद महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती गई जो सन् 2013 के 14वीं विधानसभा के चुनाव में 28 के करीब पहुँच गई है। जिनमें से मुख्यमंत्री के पद पर वसुंधरा राजे नियुक्त हुई हैं। केबिनेट व राज्यमंत्रियों में फिलहाल कोई महिला मंत्री नियुक्त नहीं की गई है। सारा कार्यभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास ही है।

अतः इस सारणी के माध्यम से हम प्रतिनिधित्व के रूप में महिला राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करेंगे–

विधान सभा वर्ष	कुल सदस्य	पुरूष सदस्य	प्रतिशत	महिला सदस्य	प्रतिशत
1952	140	—	—	—	—
1957	140	131	93.57	9	6.42
1962	176	168	95.45	8	4.55
1967	184	178	96.74	6	3.26
1972	184	180	97.83	4	2.17
1977	200	193	96.50	7	3.50
1980	200	190	90.00	10	5.00
1985	200	184	92.00	16	8.00
1990	200	189	94.50	11	5.50
1993	199	190	95.48	9	4.52
1998	200	186	93.00	14	7.00
2003	200	188	94.00	12	6.00
2008	200	175	87.50	25	12.25
2013	200	172	88.00	28	14.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विधानसभा में महिला की राजनीतिक सहभागिता में काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सन् 1957 के विधान सभा चुनाव में जहाँ 6.42 प्रतिशत महिला सदस्य थीं, वहीं सन् 2013 में 14वीं विधानसभा चुनाव में 14 प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित होकर आई हैं। सन् 1972 के चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम 2.17 प्रतिशत ही रहा जो अब तक हुए विधानसभा चुनाव में सबसे कम रहा है।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहाँ महिलाएँ पहले घर की चार दीवारी में रहकर घर–गृहस्थी संभालती थी, जिन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं था वे ही महिलाएँ आज राजनीति में बढ़–चढ़कर भाग ले रही हैं, फिर चाहे वो मतदाता के रूप में हो या उम्मीदवार के रूप में हो सभी जगह महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता दिखाई दे रही है। आज महिलाएँ राजनीति में उच्च पदों पर आसीन हो रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राजस्थान में भी महिलाओं की राजनीति में सहभागिता में काफी वृद्धि हुई है।

संदर्भ सूची :

1. विस्तृत देखें, डी.डी. बसु, भारत का संविधान : एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर, 1993
2. जे.सी. जौहरी, इवोल्यूशन ऑफ इण्डियन पार्लियामेंट, फूलचन्द द्वारा (स) इण्डियन पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोंस्टिटयूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली, 1984, पृ.सं.–7–10
3. डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड लर्नरस इंगलिश डिक्शनरी, आक्सफोर्ड, पृ.सं.–356
4. पैरी, मोयजर एण्ड के., पोलिटिकल पार्टीसिपेशन एण्ड डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, केम्ब्रिज यूनवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज, 1997

www.ignited.in

5. मिलब्राथ लेस्टर, पोलिटिकल पार्टीसिपेशन, रैड मैकनली शिकागो, 1965, पृ.सं.–19

6. यादव संतोष, उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति, पृ.सं.–202

7. गोयल सुनील व संगीता गोयल, भारतीय समाज में नारी, आर.बी.एम.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003, पृ.सं.–107

8. http://www.eci.nic.in/Accessed on 24 june, 2010 (पप) दैनिक भास्कर 1 दिसम्बर, 2013, पृ.सं.–1

9. http://google.com.in/urld=http://m:ndtv.com